

राजस्थानसरकार
आयोजनाविभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/

दिनांक: 14.05.2015

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :- "राजस्थान लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2015" के दौरान भामाशाह नामांकन व्यवस्था बाबत।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित हैं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.05.2015 से "राजस्थान लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2015" आयोजित किया जा रहा है जिसके तहत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब भी काफी संख्या में ऐसे परिवार/नागरिक शेष हैं जिनका अभी तक भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है। अतः सभी ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत के आयोजन स्थलों पर भामाशाह नामांकन की सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाये ताकि भामाशाह नामांकन से शेष रहे परिवार/नागरिक अपना भामाशाह नामांकन भी करवा सकें।

भामाशाह नामांकन हेतु मशीनों की उपलब्धता ब्लॉक में कार्यरत नामांकन एजेन्सी, आरकेसीएल (RKCL) के स्थानीय केन्द्र तथा ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय



(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ :


1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासनसचिव/शासन सचिव, राजस्थानसरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।



(अखिल अरोरा)
शासनसचिव, आयोजना

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....
5. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला.....
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी.....
7. समस्त विकास अधिकारी/तहसीलदार.....
8. गार्ड पत्रावली।


14/5/15
(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त निदेशक(सां.)